

स0सं0:- 03/भू0अ0नि0 (6) विशेष सर्वे (अभिलेख/मानचित्र) 20/2025.....3472

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0

सचिव,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

सेवा में,

सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी,

बिहार।

पटना, दिनांक 08/07/2026

विषय:- बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम अन्तर्गत राजस्व ग्रामों का अंतिम रूप से प्रकाशित (प्रपत्र-25) अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र को संरक्षित करने के संबंध में।

प्रसंग:- भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय के पत्र संख्या-1902 दिनांक-25.04.2025, पत्रांक-4122 दिनांक-21.07.2025 एवं पत्रांक-2615 दिनांक-03.08.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली के नियम-15 उपनियम-8 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं-

"ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व ग्रामों में समुचित जाँच-पड़ताल एवं तुलना के बाद नए अधिकार-अभिलेख एवं खेसरा पंजी के आधार पर अंतिम अधिकार-अभिलेख प्रपत्र-25 में 4 (चार) प्रतियों में तथा नगरपालिका क्षेत्रों में प्रपत्र-25'क' में 5 (पाँच) प्रतियों में अंतिम अधिकार-अभिलेख तैयार किया जाएगा तथा इस प्रक्रिया को 'सफाई' कहा जाएगा। ग्रामीण/नगरपालिका क्षेत्रों के लिये तैयार किए गए अधिकार-अभिलेख की एक प्रति जो 'रैयती फर्द' कहलाएगी, सम्बन्धित रैयतों/स्वामियों को उपलब्ध करायी जाएगी। द्वितीय प्रति अभिधारी खाता पंजी तैयार करने हेतु संबंधित अंचल अधिकारी को भेज दी जाएगी। तृतीय प्रति जो 'मालिकी फर्द' कहलाएगी, संबंधित जिला के समाहर्ता को उपलब्ध करायी जाएगी। चतुर्थ प्रति परिरक्षण एवं भावी निर्देश हेतु निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार की अभिरक्षा में रहेगी। नगरपालिका क्षेत्रों में प्रपत्र-25'क' की पांचवी प्रति नगर विकास एवं आवास विभाग के सम्बन्धित नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत को उपलब्ध करायी जाएगी।"

उच्चस्तरीय समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गये हैं :-

अंतिम अधिकार अभिलेख (खतियान) के संबंध में

- (1) पूर्व के निदेश के अनुसार अन्तिम अधिकार-अभिलेख की 4 प्रतियाँ निर्मित की जानी थी। अब ये 6 प्रतियों में तैयार की जाय।
- (2) इन 6 प्रतियों में 5 प्रतियों को सुव्यवस्थित तरीके से जिल्दबन्द (बाईन्डिंग) कराकर नियमावली के नियम-15 उपनियम-8 के अन्तर्गत अधिकार अभिलेख की एक-एक प्रति (बुक) संबंधित समाहर्ता, संबंधित अंचल, निदेशालय की प्रति बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना को, प्रपत्र-25 में प्राप्त दावा/आपत्ति की सुनवाई हेतु प्राधिकृत अपीलीय प्राधिकार को हस्तगत कराये जाने के साथ-साथ 1 प्रति बन्दोबस्त कार्यालय में संधारित किया जाय। शेष 1 प्रति का खातावार पृष्ठ संबंधित रैयत को उपलब्ध करायी जाएगी।
- (3) अंतिम अधिकार अभिलेख को बाईन्डिंग कराकर उसके ऊपर (मुख्य भाग पर) जिला का नाम, अंचल का नाम, राजस्व ग्राम का नाम एवं थाना संख्या प्रिंट कर चस्पा किया जाए।

अंतिम प्रकाशित मानचित्र के संबंध में

- (1) अन्तिम प्रकाशन उपरांत हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा 4 प्रतियों में उपलब्ध कराये जाने वाले विशेष सर्वेक्षण मानचित्रों का पेपर (कागज) 150 GSM के कागज में मुद्रित किया जाना आवश्यक है।

- (2) निदेशालय पत्रांक-2615 दिनांक-03.08.2026 के आलोक में अन्तिम रूप से प्रकाशित मानचित्रों को भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय में प्राप्त करने हेतु गठित दल को हस्तगत करायी जाएगी, जिसे गठित दल द्वारा जाँचोपरान्त सूचीबद्ध कर संरक्षण हेतु बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना को उपलब्ध कराया जाएगा।

अतः अनुरोध है कि उक्त निदेश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)

सचिव,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (6) विशेष सर्वे (अभिलेख/मानचित्र) 20/2025.....पटना, दिनांक...
प्रतिलिपि :-

1. सभी प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. अवर सचिव, भू-अभिलेख एवं परिमाप/प्रशाखा पदाधिकारी/निदेशालय में पदस्थापित संबंधित जिले के नोडल पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी, आई0टी0 सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, ARAHAS Technology Pvt. Ltd., GISC, IIC के प्रतिनिधि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
6. निदेशक कोषांग, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
7. माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।